

॥ निदेशालय, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर ॥

प्लॉट नं.-04/01/10-11, सेक्टर नम्बर 04, विद्याधर नगर, जयपुर - 302029

फोन :- 0141-2612018, फैक्स : 0141-2603407, ई-मेल : trg.hghq.rj@rajasthan.gov.in

क्रमांक:DHG/TRG-2/Enroll-2(1)/2022-00073

दिनांक :

शुद्धिपत्र (Corrigendum) - 1

गृह रक्षा विभाग में स्वयंसेवकों का नामांकन वर्ष 2022 हेतु जारी विज्ञप्ति क्रमांक: गृरमु/प्रशि./टी-1() 2022-23/654-702 दिनांक 09.01.2023 में नामांकन नीति के स्थाई आदेश संख्या 02/2022 क्रमांक: गृरमु/प्रशि/टी-1()/30912-57 दिनांक 04.11.2022 के अनुरूप निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र. सं.	विज्ञप्ति में विद्यमान (अंकित) प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1	बिन्दु संख्या 5 "नामांकन हेतु परीक्षा केन्द्र" 'गृह रक्षा स्वयंसेवकों के नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया अप्रैल 2023 के प्रथम सप्ताह में आयोजित किये जाने की संभावना है।	बिन्दु संख्या 5 "नामांकन हेतु परीक्षा केन्द्र" 'गृह रक्षा स्वयंसेवकों के नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया सितम्बर 2025 में आयोजित किये जाने की संभावना है।
2	बिन्दु संख्या 7 मानदेय गृह रक्षा विभाग के नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की मांग एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं, सरकारी एवं गैर सरकारी उपक्रमों में स्वयंसेवकों को नियोजित किया जाता है, जिसके लिए एक निश्चित मानदेय देने का प्रावधान है, जो वर्तमान में 693/-रुपये प्रतिदिवस होमगार्ड्स के तौर पर नियोजित होने पर एवम् 590/-रुपये प्रतिदिवस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नियोजित होने पर देय है। राज्य सरकार द्वारा प्रसारित होम गार्ड्स नियमावली-1962 के नियम-8 के अनुसार चयनित स्वयंसेवक को मात्र 05 वर्ष के लिए सदस्यता प्रदान की जाती है एवं 05 वर्ष की अवधि के बाद पुर्ननामांकन का प्रावधान है।	बिन्दु संख्या 7 मानदेय गृह रक्षा विभाग के नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की मांग एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं, सरकारी एवं गैर सरकारी उपक्रमों में स्वयंसेवकों को नियोजित किया जाता है, जिसके लिए एक निश्चित मानदेय देने का प्रावधान है, जो वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से गृह रक्षा स्वयंसेवक को आरक्षी, वाहन चालक के समकक्ष कार्य हेतु नियोजन पर रुपये 965/-प्रति दिवस एवं चतुर्थ श्रेणी के समकक्ष कार्य हेतु नियोजन पर रुपये 822/- प्रति दिवस देय है। राज्य सरकार द्वारा प्रसारित होम गार्ड्स नियमावली-1962 के नियम-8 के अनुसार चयनित स्वयंसेवक को मात्र 15 वर्ष के लिए सदस्यता प्रदान की जाती है एवं 15 वर्ष की अवधि के बाद पुर्ननामांकन का प्रावधान है।
3	बिन्दु संख्या 9 नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया उप बिन्दु V. चतुर्थ चरण:- मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण- अधिकतम अंक-05	बिन्दु संख्या 9 नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया विलोपित किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Singh Chauhan
Designation : Inspector General Of Police
Date: 2025.08.04 16:01:50 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
16908390

eSign 1.0



उप बिन्दु VI. नामांकन परीक्षा हेतु अंक गणना:- परीक्षा के सभी चरणों के कुल 50 अंक होंगे जिनकी गणना निम्नानुसार की जाएगी। <table border="1"> <thead> <tr> <th>परीक्षा का चरण</th><th>अधिकतम अंक</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>शारीरिक दक्षता परीक्षा</td><td>25</td></tr> <tr> <td>विशेष योग्यता</td><td>20</td></tr> <tr> <td>मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण</td><td>5</td></tr> <tr> <td>अंकों का योग</td><td>50</td></tr> </tbody> </table> उप बिन्दु VII. चयन सूची:- नामांकन प्रक्रिया के अंतिम चरण में उपलब्ध अभ्यर्थी को उपरोक्त वर्णित शारीरिक दक्षता परीक्षा, विशेष योग्यता एवं मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण में अंक दिये जायेंगे तथा मेरिट (योग्यता) सूची तैयार की जायेगी।	परीक्षा का चरण	अधिकतम अंक	शारीरिक दक्षता परीक्षा	25	विशेष योग्यता	20	मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण	5	अंकों का योग	50	उप बिन्दु VI. नामांकन परीक्षा हेतु अंक गणना:- परीक्षा के सभी चरणों के कुल 45 अंक होंगे जिनकी गणना निम्नानुसार की जाएगी। <table border="1"> <thead> <tr> <th>परीक्षा का चरण</th><th>अधिकतम अंक</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>शारीरिक दक्षता परीक्षा</td><td>25</td></tr> <tr> <td>विशेष योग्यता</td><td>20</td></tr> <tr> <td>अंकों का योग</td><td>45</td></tr> </tbody> </table> उप बिन्दु VII. चयन सूची:- नामांकन प्रक्रिया के अंतिम चरण में उपलब्ध अभ्यर्थी को उपरोक्त वर्णित शारीरिक दक्षता परीक्षा, विशेष योग्यता के अंक दिये जायेंगे तथा मेरिट (योग्यता) सूची तैयार की जायेगी।	परीक्षा का चरण	अधिकतम अंक	शारीरिक दक्षता परीक्षा	25	विशेष योग्यता	20	अंकों का योग	45
परीक्षा का चरण	अधिकतम अंक																		
शारीरिक दक्षता परीक्षा	25																		
विशेष योग्यता	20																		
मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण	5																		
अंकों का योग	50																		
परीक्षा का चरण	अधिकतम अंक																		
शारीरिक दक्षता परीक्षा	25																		
विशेष योग्यता	20																		
अंकों का योग	45																		

(संदीप सिंह चौहान, IPS)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
निदेशालय गृह रक्षा, राजस्थान

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-7) विभाग, राज. जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. उप महासमादेष्टा प्रथम/द्वितीय, निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
6. सीनियर स्टाफ आफिसर प्रथम/द्वितीय, निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल राजस्थान।
8. समस्त समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Singh Chauhan
Designation : Inspector General Of Police
Date: 2025.08.04 16:01:50 IST
Reason: Approved

॥ निदेशालय, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर ॥

सेक्टर-4, विद्याघर नगर, जयपुर-302029

फोन :- 0141-2613755, फैक्स : 0141-2603407 ई-मेल : trg.hghq.rj@rajasthan.gov.in

website: <http://home.rajasthan.gov.in/homeguards>

क्रमांक: DHG/TRG-2/Enroll-2(1)/2022-00073

दिनांक :

स्थायी आदेश संख्या 02/2022 (संशोधित)

गृह रक्षा स्वयंसेवकों के नामांकन हेतु राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त जारी नामांकन नीति, स्थायी आदेश संख्या 02/2022 क्रमांक: गृरमु/प्रशि/टी-1()/30912-57 दिनांक 04.11.2022 में राज्य सरकार से निम्नानुसार सहमति प्राप्त हुई है:-

- राज्य सरकार की अधिसूचना प.4(10)गृह-7/2004पार्ट दिनांक 01.08.2023 द्वारा राजस्थान गृह रक्षा नियम 1962 के नियम 8 में संशोधन कर गृह रक्षा स्वयंसेवकों की सदस्यता अवधि 5 वर्ष को 15 वर्ष किये जाने के क्रम में जारी स्वीकृति क्रमांक: प.4(11)गृह-7/ 2024-19073 दिनांक 19.11.2024 द्वारा स्वयंसेवकों की नामांकन नीति में तदनुसार संशोधन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।
- राज्य सरकार के पत्रांक प.4(11)गृह-7/2024-19073 दिनांक 26.06.2024 द्वारा नामांकन नीति के स्थायी आदेश संख्या 02/2022 के **बिन्दु संख्या 08- नामांकन हेतु चयन समिति (बोर्ड) का गठन एवं बिन्दु संख्या 09- नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया** से मौखिक व्यक्तिगत परीक्षण को हटाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- राज्य सरकार के पत्रांक प.4(11)गृह-7/2024-19073 दिनांक 17.06.2025 द्वारा नामांकन नीति के स्थायी आदेश संख्या 02/2022 के **बिन्दु संख्या 09- नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया के उप बिन्दु (A) पंजिकरण एवं प्रमाण पत्र तथा उप बिन्दु (G) चयन सूची** में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त सहमति आदेशों के अनुसार गृह रक्षा स्वयंसेवकों की रिक्तियों पर नामांकन के लिए जारी इस निदेशालय के स्थायी आदेश संख्या 02/2022 क्रमांक गृरमु/प्रशि/टी-1() 30912-57 दिनांक 04.11.2022 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र. सं.	नामांकन नीति के स्थायी आदेश संख्या 02/2022 में विद्यमान (अंकित) प्रावधान	नामांकन नीति के स्थायी आदेश संख्या 02/2022 में संशोधित प्रावधान
1	आदेश की प्रस्तावना में अंकित “नामांकित स्वयंसेवकों को राजस्थान गृह रक्षा नियमावली-1962 के नियम-8 के तहत 05 वर्ष के लिए ही रोल पर रखा जायेगा। राज्य सरकार द्वारा प्रसारित होम गार्ड्स नियमावली-1962 के नियम-8 के अनुसार चयनित स्वयंसेवक को मात्र 05 वर्ष के लिए सदस्यता प्रदान की जाती है एवम् 05 वर्ष की अवधि के बाद पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है।”	आदेश की प्रस्तावना में संशोधित अंकन “नामांकित स्वयंसेवकों को राजस्थान गृह रक्षा नियमावली-1962 के नियम-8 के तहत 15 वर्ष के लिए ही रोल पर रखा जायेगा। राज्य सरकार द्वारा प्रसारित होम गार्ड्स नियमावली 1962 के नियम-8 के अनुसार चयनित स्वयंसेवक को मात्र 15 वर्ष के लिए सदस्यता प्रदान की जाती है एवं 15 वर्ष की अवधि के बाद पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है।”

Signature Not Verified

Digitally signed by Malni Agarwal
Designation : Director General Of Police

Date: 2025.07.29 14:30:46 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
16702034

eSign 1.0



2	बिन्दु संख्या 08- नामांकन हेतु चयन बोर्ड राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक: प. 4 (10) गृह-7/2004 दिनांक: 23.01.2020 द्वारा राजस्थान होम गार्ड्स नियम-1962 के नियम-5 के अन्तर्गत सीमा/शहरी/ग्रामीण गृह रक्षा स्वयं सेवकों के नामांकन हेतु निम्न रैंक के पदाधिकारियों को शामिल कर चयन समिति का गठन किया जाता है:- 1. उप महासमादेष्टा/समादेष्टा गृह रक्षा विभाग - अध्यक्ष 2. महानिदेशक, गृह रक्षा विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य (जो उप समादेष्टा, से नीचे के स्तर का न हो) 3. सम्बन्धित इकाई का समादेष्टा/उप समादेष्टा गृह रक्षा - सदस्य सचिव	बिन्दु संख्या 08- नामांकन हेतु चयन बोर्ड राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प. 4 (11) गृह-7/2024-19073 दिनांक: 26.06.2024 के अनुसार राजस्थान होम गार्ड्स नियम-1962 के नियम-5 के अन्तर्गत सीमा/शहरी/ ग्रामीण गृह रक्षा स्वयंसेवकों के नामांकन हेतु निम्नानुसार चयन समिति का गठन किया गया है:- क. बोर्डर होमगार्ड हेतु:- 1. उप महासमादेष्टा गृह रक्षा विभाग- अध्यक्ष (महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा द्वारा मनोनित) 2. महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य (जो उप समादेष्टा से नीचे के स्तर का न हो) 3. संबंधित इकाई का समादेष्टा/गण समादेष्टा, गृह रक्षा विभाग- सदस्य सचिव ख. शहरी होमगार्ड हेतु:- 1. उप महासमादेष्टा/समादेष्टा गृह रक्षा विभाग - अध्यक्ष (महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा द्वारा मनोनित) 2. महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य (जो उप समादेष्टा से नीचे के स्तर का न हो) 3. संबंधित इकाई का समादेष्टा/उप समादेष्टा, गृह रक्षा विभाग- सदस्य सचिव
3	बिन्दु संख्या 9 नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया उप बिन्दु (A) पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र:- नामांकन प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा स्थल पर निम्नांकित दस्तावेज (जो भी लागू हो) एवं उसी स्व-प्रमाणित (Self attested) एक प्रतिलिपि सहित निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित होंगे:- (i) विशेष योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र। (ii) जाति प्रमाण-पत्र:- अनु.जाति/अनु. जनजाति/ओ.बी.सी./एम.बी.सी./ई. डब्ल्यू.एस. से संबंधित प्रमाण-पत्र, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है। (iii) सहरिया क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, यदि लागू हो तो।	बिन्दु संख्या 9 नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया उप बिन्दु (A) पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र:- नामांकन प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा स्थल पर निम्नांकित दस्तावेज (जो भी लागू हो) एवं उनकी स्व-प्रमाणित (Self Attested) एक प्रतिलिपि सहित निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित होंगे :- (i) विशेष योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र। (ii) जाति प्रमाण पत्र:- अनु.जाति/अनु. जनजाति/ओ.बी.सी./एम.बी.सी./ई. डब्ल्यू.एस. से संबंधित प्रमाण-पत्र, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है। (iii) जनजाति क्षेत्र (टी.एस.पी.) एवं सहरिया क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, यदि लागू हो तो। (iv) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्र।

Signature Not Verified

Digitally signed by Malni Agarwal
Designation : Director General Of
Police

Date: 2025.07.29 14:30:46 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
16702034

eSign 1.0

पंजिकरण के समय अभ्यर्थी के आवेदन में लगाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर का सत्यापन/मिलान किया जावेगा।	(v) संबंधित जिले का मूल निवास प्रमाण-पत्र। (vi) आयु प्रमाण-पत्र (यदि शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्र में आयु अंकित नहीं है तो) (vii) महिला:- विधवा के मामले में अपने पति की मृत्यु का एवं विच्छिन्न विवाह के मामले में विवाह विच्छेद का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र। (viii) भूतपूर्व सैनिक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सेवानिवृत्ति प्रमाण-पत्र। (ix) शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में सम्मिलित होने हेतु राजकीय चिकित्सक से शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण-पत्र। (x) आवेदक से सम्बन्धित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरान्त निर्धारित आवेदन-पत्र भरवाया जायेगा जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के दो (4.5 X 3.5 सेमी) रंगीन फोटो। पंजिकरण के समय अभ्यर्थी के आवेदन में लगाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर का सत्यापन/मिलान किया जावेगा।																		
उप बिन्दु (E) चतुर्थ चरण:- मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण- अधिकतम अंक-05	विलोपित किया जाता है।																		
उप बिन्दु (F) नामांकन परीक्षा हेतु अंक गणना :- परीक्षा के सभी चरणों के कुल 50 अंक होंगे जिनकी गणना निम्नानुसार की जाएगी। <table border="1" data-bbox="263 1299 805 1545"> <thead> <tr> <th>परीक्षा का चरण</th><th>अधिकतम अंक</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>शारीरिक दक्षता परीक्षा</td><td>25</td></tr> <tr> <td>विशेष योग्यता</td><td>20</td></tr> <tr> <td>मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण</td><td>5</td></tr> <tr> <td>अंकों का योग</td><td>50</td></tr> </tbody> </table>	परीक्षा का चरण	अधिकतम अंक	शारीरिक दक्षता परीक्षा	25	विशेष योग्यता	20	मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण	5	अंकों का योग	50	उप बिन्दु (F) नामांकन परीक्षा हेतु अंक गणना:- परीक्षा के सभी चरणों के कुल 45 अंक होंगे जिनकी गणना निम्नानुसार की जाएगी। <table border="1" data-bbox="829 1299 1412 1500"> <thead> <tr> <th>परीक्षा का चरण</th><th>अधिकतम अंक</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>शारीरिक दक्षता परीक्षा</td><td>25</td></tr> <tr> <td>विशेष योग्यता</td><td>20</td></tr> <tr> <td>अंकों का योग</td><td>45</td></tr> </tbody> </table>	परीक्षा का चरण	अधिकतम अंक	शारीरिक दक्षता परीक्षा	25	विशेष योग्यता	20	अंकों का योग	45
परीक्षा का चरण	अधिकतम अंक																		
शारीरिक दक्षता परीक्षा	25																		
विशेष योग्यता	20																		
मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण	5																		
अंकों का योग	50																		
परीक्षा का चरण	अधिकतम अंक																		
शारीरिक दक्षता परीक्षा	25																		
विशेष योग्यता	20																		
अंकों का योग	45																		
(g) चयन सूची:- नामांकन प्रक्रिया के अंतिम चरण में उपलब्ध अभ्यर्थी को उपरोक्त वर्णित दौड़ एवं विशेष योग्यता में अंक दिये जायेंगे तथा मेरिट (योग्यता) सूची तैयार की जायेगी।	(G) चयन सूची:- नामांकन प्रक्रिया के अंतिम चरण में उपलब्ध अभ्यर्थी को आदेश के बिन्दु संख्या 09 के उप बिन्दु (F) नामांकन परीक्षा हेतु अंक गणना में वर्णित शारीरिक दक्षता एवं विशेष योग्यता के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट (योग्यता) सूची तैयार की जाएगी।																		

आदेश के शेष प्रावधान/नियम/शर्तें यथावत रहेंगी।

(मालिनी अग्रवाल, IPS)

महानिदेशक एवं महासमादेष्टा
निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Malni Agarwal
Designation : Director General Of
Police

Date: 2025.07.29 14:30:46 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
16702034

eSign 1.0

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-7) विभाग, राज. जयपुर को उनके पत्रांक प.4(11)गृह-7 / 2024-19073 दिनांक 19.11.2024, 26.06.2024 एवं 17.06.2025 के क्रम में।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस, निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. उप महासमादेष्टा प्रथम/द्वितीय, निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
7. सीनियर स्टाफ आफिसर प्रथम/द्वितीय, निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल राजस्थान।
9. समस्त समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।

Signature Not Verified

Digitally signed by Malini Agarwal
Designation : Director General Of
Police
Date: 2025.07.29 14:30:46 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
16702034
eSign 1.0